—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—152/2020

उनवान

गोपाल पुत्र घीसालाल जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 1 रामदयाल मोहल्ला, नसीराबाद
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री घीसालाल
2 पप्पू पुत्र घीसालाल,
3. रामी देवी पत्नी घीसालाल जाति नाई नि0 वार्ड नम्बर 1 रामदयाल मौहल्ला नसीराबाद,
4. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया श्रीनगर,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर,
2 से 4 अनुपस्थित, 5 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 30.4.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा अहिरान के खाता संख्या 307/303 किता 5 रकबा 1.95 की आराजी वादी की खातेदारी है। उक्त आराजी पर वादी का नाम गोपाल पुत्र घीसालाल के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से कालू पुत्र घीसालाल दर्ज कर दिया है जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम गोपाल पुत्र घीसालाल ही है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम कालू पुत्र घीसालाल के स्थान पर गोपाल पुत्र घीसालाल अंकित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार व प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:41:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा अहिरान के खाता संख्या 307/303 किता 5 रकबा 1.95 की आराजी वादी की खातेदारी है। उक्त आराजी पर

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादी का नाम गोपाल पुत्र घीसालाल के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से कालू पुत्र घीसालाल दर्ज कर दिया है जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम गोपाल पुत्र घीसालाल ही है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम कालू पुत्र घीसालाल के स्थान पर गोपाल पुत्र घीसालाल अंकित किया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड आधार कार्ड, ग्राम पंचायत कानाखेडी के प्रमाण पत्र अनुसार वादी का नाम गोपाल है। किन्तु वादी द्वारा आराजी मुतनाजा का साबिक राजस्व अभिलेख पेश नही किया है। वादी को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार किस माध्यम से प्राप्त हुये है यह वादी द्वारा स्पष्ट नही किया है। हाल राजस्व अभिलेख में वादी का नाम कालू विरासत से आया है अथवा आवंटन/विक्रय आदि से यह भी वादी द्वारा सिद्व नही किया गया है। हाल राजस्व अभिलेख से पूर्व का राजव अभिलेख प्रस्तुत नही करने के कारण आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। वादी नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम रामपुरा अहिरान के खाता संख्या 307/303 किता 5 रकबा 1.95की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

गोपाल बनाम इन्द्रा

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर —152/2020
पेश करने की दिनांक —22.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—
ग्राम रामपुरा अहिरान के खाता संख्या 307/303 किता 5 रकबा 1.95 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:41 IST
Reason: SelfAttested